INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | MAY – 2025

बिहार के बदलते राजनीतिक सन्दर्भ में लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त की प्रासंगिकताः (१९६७-२०२५)

डॉ. दिनेश कुमार
सहायक प्रध्यापक (अतिथि), ए.एन.एस. कॉलेज, बाढ़, पटना.

शोध आलेख का सारः–

वर्ष १९६७ से २०२५ के दौरान बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए है, उसके पश्चात् बिहार की राजनीति गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, जाति एवं वर्ग जैसे मुद्दों पर केन्द्रित हो गई है। यह राजनीति डॉ. राममनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित है, जिसे बिहार के कुछ नेताओं ने अपने शासनकाल में इसे व्यावहारिक धरातल पर उताने का प्रयास किया है। बिहार में जिन नेताओं ने लोहिया के सामाजवादी विचारों को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, उनमें तात्कालीन मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव तथा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अहम रही है। क्योंकि इन सभी नेताओं का उदय समाजवादी विचारधारा के आन्दोलन से हुआ है। प्रस्तुत आलेख के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या लोहिया के 'चौखम्भा सिद्धान्त' बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक है?

मूल शब्द – समाजवाद, जाति, आरक्षण, पंचायतीराज, सरकार, राजनीतिक दल, विचारधारा इत्यादि।

परिचयः

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राममनोहर लोहिया बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होनें अपना समग्र जीवन मानव सेवा में लगा दिया। भारत में समाजवादी विचारधारा एक सशक्त प्रचारक होने के साथ-साथ वे एक महान राजनीतिक योद्धा, देशभक्त, स्वतंत्र चिन्तक तथा एक साहसी नेता भी थे। राममनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला के अकबरपुर ग्राम में हुआ था, परन्तु उनकी कर्मभूमि बिहार रहा है। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से सन् १९३२ में पी-एच९डी९ की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय '' भारत का नमक और सत्याग्रह'' था। वे प्रारम्भ से ही कांग्रेस के प्रति समर्पित थे। वे भारत में कांग्रेस समाजवादी दल के निर्माण में सहयोग किया और एक साप्ताहिक-पत्र भी शुरू किया। लोहिया इसके प्रथम सम्पादक भी बने। १९३८ में उन्हें लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के समाजवादी शाखा की केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। परन्तु नेहरू से राजनीतिक विरोध के कारण वे १९४८ में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आचार्य कृपलानी के साथ मिलकर १९५२ में 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' का निर्माण किया। सन् १९५४ में उन्हें इस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। सन १९५५ में उन्होंने हैदराबाद में एक अलग 'समाजवादी पार्टी' का गठन किया और ७ जून १९६४ को इस पार्टी का भी विलय सोशलिस्ट पार्टी के साथ कर दिया गया। इस पार्टी का नाम 'संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी' रखा गया। इसके कुछ ही वर्षों बाद यानि १२ अक्टूबर, १९६७ को बहुआयामी प्रतिभा के धनी लोहिया का निधन हो गया।

डॉ. राममनोहर लोहिया सामाजिक और आर्थिक कुव्यवस्था को देखते हुए एक तरफ समाजवाद से प्रभावित थे तो दूसरी तरफ नैतिकता और समाजिकता को लेकर गाँधीवाद से प्रभावित थे। विश्व राजनीति के सन्दर्भ में पूँजीवाद और विकसित देशों के खिलाफ एशियाई देशों को संगठित कर एक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ऐसे प्रयास से लोहिया के अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति के प्रति व्यापक सूझ-बूझ की झलक मिलती है। इनके विचार एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि इन्हें अलग करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। लोहिया के सभी सिद्धान्तों में चार स्तम्भ वाले राज्य का सिद्धान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वैसे तो इनके सभी सिद्धान्त समाजवाद से प्रभावित है। राज्य के चौखम्भा सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण की परस्पर विरोधी अवधारणाओं के मध्य समन्वय और सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत लोहिया यह बताना चाहते है कि एक राज्य में चार स्तम्भ होते हैं- गाँव, जिला, प्रान्त और केन्द्रीय सरकार। इन चारों स्तम्भों में लोहिया ने ग्राम प्रशासन और केन्द्रीय प्रशासन पर अधिक जोर दिया है।

गाँधीवादी मान्यताओं, व्यापक राजनीतिक सहभागिता, औपनिवेशिक शक्तियों से बचाव तथा अन्य लोकतांत्रिक व सामाजिक मान्यताओं के सन्दर्भ में उन्होनें ग्राम प्रशासन की भूमिका को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया है तो दूसरी तरफ विश्व राजनीति को देखते हुए उन्होंने चौथे स्तम्भ यानि केन्द्रीय सरकार को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोहिया जिला स्तम्भ को कमजोर रखना चाहते हैं, इसका कारण यह है कि उनके विचार से औपनिवेशिक समय से जिला प्रशासन बुराईयों से घिर गया है जिसके द्वारा प्रथम यानि बुनियादी स्तम्भ और चौथा स्तम्भ यानि केन्द्रीय सरकार के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित की जाती है। लोहिया के चार स्तम्भों वाली सिद्धान्त में जब केन्द्रीय सरकार को महत्व प्रदान किया जाता है तो केन्द्रीयकरण को बल मिलता है तथा जब बुनियादी स्तम्भ को महत्व प्रदान किया जाता है तो विकेन्द्रीकरण को बल मिलता है। दूसरे शब्दों में, लोहिया राजनीतिक विकेन्द्रीकरण को राजनीतिक समता और सम्पन्नता का द्योतक मानते थे, इसलिए राजनीतिक केन्द्रीकरण के विरोधी है, साथ ही ग्राम पंचायत के माध्यम से वे व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते है, इसलिए भी राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के समर्थक और राजनीतिक केन्द्रीकरण के विरोधी हैं।

लोहिया एक समाजवादी विचारक है। ऐसा कहने का आधार यह है कि उनके द्वारा सामाजिक-आर्थिक जीवन में बराबरी को कायम करने की बात कही गई है। लोहिया जब समाजवाद को एशियाई विशेषतः भारतीय समाज में लागू करने की बात करते है तो पर्यावरणीय सन्दर्भ में उसमें कुछ सुधार करते हैं जिसे लोहिया का नवीन समाजवाद कह दिया जाता है। लोहिया के समाजवाद का जन्म उनके विचारों से तो हुआ ही है, लेकिन उनके समाजवाद का रूप कार्य पद्धति से भी निर्धारित हुआ है। लोहिया ने वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति को आवश्यक बताया है, मसलन-सामाजिक असमानताओं की समाप्ति वास्तविक या सच्चे समाजवाद का आधार है; प्रजातंत्र की स्थापना समाजवाद की स्थापना के लिए पूर्व शर्त है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्लमार्क्स के विपरीत लोहिया ने प्रजातंत्र को समाजवाद की पूर्व शर्त माना है।

१९६७ के पूर्व बिहार सहित सम्पूर्ण भारत में काँग्रेस का एकछत्र राज स्थापित था। अधिकांश राज्यों में काँग्रेस का ही शासन था, परन्तु १९६७ के आम चुनावों के बाद स्थिति बदल गई। गैर-काँग्रेसी दलों ने करीब नौ राज्यों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इस बदलाव के पीछे डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवादी प्रभाव ही था। क्योंकि लोहिया काँग्रेस को सत्ता से विस्थापित करना चाहते थे। एक तो इसलिए कि वह यथास्थितिवाद की पार्टी बन गयी थी और किसी भी मूलभूत बदलाव के लिए उसमें कोई चाह नहीं बची थी। दूसरी इसलिए कि इसके चलते जनता के सामने कोई दूसरा या तीसरा राजनीतिक विकल्प नजर नहीं आ रहा था। जब १९६७ के चौथे आम चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने काँग्रेस के विरोध में सभी क्राँग्रेस विरोधी पार्टियों को एकजुट करके चुनाव लड़ने की रणनीति बनायी। इस रणनीति को सैद्धान्तिक बल देने के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का कोटा में अप्रैल, १९६६ में एक सम्मेलन हुआ। कोटा सम्मेलन इतिहास को नई दिशा देने वाली थी। इस सम्मेलन में जो गैर-काँग्रेसवादी रणनीति तय हुयी उसके अनुसार १९६७ के चुनाव लड़े गए जिसमें काँग्रेस का कई राज्यों में पत्ता साफ हो गया और केन्द्र में भी उसकी शक्ति क्षीण हो गयी। डॉ. लोहिया ने समाजवादियों में सत्ता को जनहित का हथियार मानकर उस पर कब्जा स्थापित करने और लोक सभा तथा विधान सभा को जनसंघर्ष के मंच के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा जगाई। दुर्भाग्य से डॉ. लोहिया का इन्हीं दिनों निधन हो गया और इस रणनीति के फलस्वरूप बनी संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारों का सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नेता नहीं रहा।

बिहार डॉ. राम मनोहर लोहिया का एक आंशिक ही सही सफल प्रयोग-क्षेत्र रहा है- खासकर राज्य की राजनीति में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्थापित करने में। समाजवादी आन्दोलन की एक धारा १९५६ से लोहिया के नेतृत्व में शुरू हुई और सारे देश में समाजवादी आन्दोलन के हाशिए पर खड़े कुछ लोग लोहिया की धारा में शामिल हुए, जिनको लोहिया ने 'शिवजी की बारात' भी कहा। बिहार में डॉ. लोहिया का साथ देनेवाले लोग पिछड़े वर्ग के थे, कारण लोहिया ने अपनी जाति नीति का सधन प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया और डॉ. अम्बेदकर से मिलकर एक संयुक्त दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। आठ साल बाद यह धारा व्यवस्थित होकर बिहार में पिछड़ों का एक कार्यकर्त्ता दल तैयार की। एक गरीब नाई-परिवार के कर्पूरी ठाकुर बिहार में इस दल के नेता बने। डॉ. राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरू थे। वे बिहार के मुख्यमंत्री रहते लोहिया के प्रभाव में

सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। उनके राजनीति का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, समाजवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार और कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुँचाना था। उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बिहार के सार्वजनिक जीवन में पिछड़ा वर्ग का प्रभाव बढ़ता ही गया।

१९९० में लालू प्रसाद यादव बिहार में लोहिया के समाजवादी विचारधारा के प्रचारक एवं कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी हुए। लोहिया की जाति-नीति (जाति विनाश नीति+आरक्षण नीति) बिहार में लोकप्रिय हुई। लेकिन आर्थिक नीतियों का कोई प्रयोग नहीं हो पाया। लालू यादव का नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। लालू यादव इसी विरासत को आगे ले गए और बिहार में १५ वर्ष के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शासनकाल के पहले पांच या छः वर्षों तक वे हाशिए पर खड़े वर्गों के आत्मविश्वास और गरिमा के प्रतीक बने रहे। परंतु उनके शासनकाल की शेष अवधि में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलितों का उनसे मोहभंग हो गया। लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के जो गंभीर आरोप लगे, उससे बिहार के पिछड़ा एवं दलित वर्गों में उनके प्रति लोगों में विश्वास कम हो गया है। लालू यादव पर एक और बड़ा गंभीर आरोप 'चारा घोटाला' का लगा साथ ही उनकी राजनीति यादव और मुस्लिम जाति तक सिमट गई।

वर्ग संगठन के मामले में लोहिया का झुकाव किसानों की ओर था। छोटे किसानों को राजनैतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, उनका एक लक्ष्य रहा। इसलिए 'अनार्थिक जोत' का सवाल उन्होंने बार-बार उठाया और दो एकड़ तक के किसानों को कर के बोझ से मुक्त रखने के लिए और उनकी सिंचाई मुहैया करने के लिए लोहिया का दल मांग करता रहा। दूसरी तरफ उनके चौखम्भा सिद्धान्त का जो पहला स्तम्भ गाँव था, उस क्षेत्र में कोई संगठनात्मक बदलाव नहीं हुआ। बिहार में शासन का केन्द्र बिन्दु जिला और प्रान्त तक ही सीमित रहा।

नवम्बर, २००५ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार भी डॉ. राममनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा के पक्षपोषक रहे। उन्होंने सत्ता संभालते ही 'सामाजिक न्याय के साथ विकास' को अपना लक्ष्य बनाया और नवम्बर, २००५ से २०१५ तक अनेक ऐसे कार्य किए जिसकी कल्पना लोहिया ने की थी। नीतीश कुमार ने दलितों में पिछड़ी जातियों की समस्याओं पर ध्यान देने की कोशिश की। उन्होंने अति पिछड़ों जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया। उन्होंने विकास का एक मजबूत और अनूठा एजेंडा सामने रखा, जिसके परिणामस्वरूप बिहार तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं कई अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हाशिल की। नीतीश कुमार ने बिहार के अन्य मुख्यमंत्रियों से कुछ आगे बढ़कर लोहिया के समाजवादी विचारों और उनके चौखम्भा राज्य के जो प्रथम स्तम्भ गाँव है, उसको बिहार पंचायती राज्य अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर मजबूत करते रहे है। बिहार में वर्ष २००१ से पंचायतीराज व्यवस्था धरातल पर कार्य करना प्रारम्भ किया। वर्ष २००६ में बिहार पंचायतीराज संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इसके पश्चात् इसमें कई बदलाव करके ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया गया और पिछड़े वर्ग के लिए २० प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्ष २००६ से लेकर अबतक पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ग्राम पंचायत सक्रिय रूप से प्रशासन का संचालन कर रही है। पंचायत चुनावों में लोगों की बढ़ती सक्रियता इस बात को प्रमाणित करता है कि शासन व्यवस्था में ग्राम प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। सच्चे अर्थ में यहीं विकेन्द्रीकरण का परिचायक है, जो शासन व्यवस्था को लोहिया के नजदीक लाकर खड़ा कर देता है। लोहिया ने जिस समाजवादी विचारधारा की कल्पना की थी उसे कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने व्यावहारिक धरातल पर उतारा। इन तीनों अनुयायियों ने अपने समय व परिस्थिति के अनुरूप समाजवादी विचारधारा को एक नयी दिशा प्रदान की और इसी मार्ग पर अग्रसर है। इसके अलावे राम विलास पासवान भी बिहार में इसी कड़ी के एक हिस्सा रहे।

साहित्य समीक्षाः

डॉ. राम मनोहर लोहिया, ''गिल्टीमैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन'', समता-न्याय प्रकाशन, हैदराबाद, (१९७०), लोहिया ने समाजवाद को 'समानता एवं समपन्नता' के साथ जोड़कर, उसे व्यावहारिक रूप देना चाहते थे। उनका विचार था कि समाजवाद के सिद्धान्त को एक दृढ़ आधार प्रदान करने के साथ ही कार्य के उन प्रभावकारी तरीकों को भी खोज निकालना जिनके द्वारा सिद्धान्त क्रियान्वित किया जा सके, उतना ही आवश्यक है। लोहिया चाहते थे कि लोगों में समाजवादी विचार एवं कार्य के प्रति तड़प पैदा हो, जो क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाये बिना, समाजवाद का सही-सही कार्यान्वयन संभव नहीं होगा।

लोहिया ने अपने लेख 'इकोनॉमिक आफ्टर मार्क्स' में लिखा कि उपनिवेशवादी देशों के श्रमिकों के शोषण के परिणामस्वरूप यूरोपीय पूँजीवाद को जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हुआ उसी ने यूरोपीय देशों में पूँजीकरण की प्रक्रिया को तेजी से

आगे बढ़ाया। इस पूँजी का लाभ यूरोप के श्रमिक वर्ग को मिला फलतः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनकी गरीबी कम हुयी।

इकोनहमिक एंड पोलिटिकल वीकली के लिए २०१० के एक लेख में योगेंद्र यादव ने नेहरूवादियों और मार्क्सवादियों के बारे में लिखा था कि उस समय के बुद्धिजीवियों के दो प्रचलित वैचारिक कैंपों ने लोहिया के चारों ओर 'खामोशी की दीवार खड़ी' कर दी थी. लोहिया को बिना पढ़े ही खारिज करना आम हो गया था।

कन्हैया त्रिपाठी, राममनोहर लोहिया और सतत समाजवाद, प्रभात प्रकाशन, २०१८, कानपुर, में लेखक ने लोहिया के समाजवाद के सैद्धान्तिक एवं कार्यात्मक सुझावों का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। लोहिया का यह समाजवादी दर्शन लोहिया का जनतांत्रिक स्वप्न था; लेकिन यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उन्हें वह अवसर नहीं प्राप्त हो सका कि अपने सपनों का भारत गढ़ सकें।.

शोध का उद्देश्यः

प्रस्तावित शोध आलेख "बिहार के बदलते राजनीतिक सन्दर्भ में लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त की प्रासंगिकताः (१९६७-२०१५)" है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगाः

- क्या लोहिया के 'चौखम्भा सिद्धान्त' को व्यवहारिक धरातल पर उतरा जा सकता है ?
- क्या लोहिया के विचारधारा के आधार पर बिहार जैसे पिछड़े राज्य का विकास किया जा सकता है?

बिहार की राजनीति में जातिवाद जकड़ा हुआ है, ऐसे में लोहियावादी रास्ते पर चलकर यहाँ के गाँवों का उत्थान हो सकता है।

बिहार में प्रशासनिक संरचना के जो रूप है, उसमें जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे लोहिया समाप्त कर देना चाहते है, क्या जिला प्रशासन को समाप्त करके बिहार का विकास किया जा सकता है।

शोध परिकल्पनाः

१९६७ से लेकर अबतक बिहार की राजनीतिक सत्ता पर समाजवादी नेताओं का कब्जा रहा है, जो राममनोहर लोहिया के विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। फिर भी बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं हो पाया है।

बिहार के समाजवादी नेता केवल सत्ता में बने रहने के लिए विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनकों बिहार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास से कोई सरोकार नहीं है।

- क्या लोहिया के समाजवादी सिद्धान्तों के रास्ते पर चलकर बिहार का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है?

शोध आलेख की पद्धति :

प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन पद्धतियों को अपनाते हुए शोध लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य में प्राथमिक और सहायक दोनों ही स्रोतों का सहयोग लिया जा रहा है। प्राथमिक स्रोत के रूप में लोहिया की महत्वपूर्ण रचनाओं को आधार बनाया गया है तथा सहायक व द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत विभिन्न विद्वानों की लोहिया से संबंधित रचनाएँ स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुस्तकालयों, इन्टरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं अन्य प्रासंगिक सामग्रियों से प्राप्त किया गया है।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोहिया ने समाज में व्याप्त जाति या वर्ण पर आधारित वर्गों के बीच भेद-भाव, ऊँच-नीच, छुआछूत की समाप्ति के लिए जीवन पर्यन्त सक्रिय रहे। बिहार में लोहिया के उत्तराधिकारियों ने इस प्रथा को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इसे समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठायें, जिनमें उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली। कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद ने तो बिहार की राजनीति को अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति में तबदील कर दिया। कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री बहुत कम रहा, परंतु इसी अवधि में उन्होंने पिछड़ी जाति के हित में कई क्रान्तिकारी कदम उठायें। वहीं लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाया। भले ही वह उनके लिए समुचित स्कूल,

कॉलेज, नौकरी, आवास का प्रबन्ध नहीं कर सके परन्तु अपने अधिकार के लिए जागरूक किया। वहीं समाजवादी रास्ते पर चलते हुये नीतीश कुमार ने उनके हित से सम्बन्धित कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर उसे उचित हक दिलाया और 'सामाजिक न्याय के साथ विकास' के लक्ष्य पर अग्रसर है। परन्तु लोहिया ने जिस चौखम्भा सिद्धान्त विचार दिया, वह उसी रूप में देश में फलीभूत नहीं हो पाया। क्योंकि वर्तमान बिहार के शासन व्यवस्था में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में ग्राम प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि वर्तमान बिहार सरकार गाँव के विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं, इसलिए ग्राम स्तर के सारे कार्य मुखिया के माध्यम से सम्पादित हो रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आंशिक ही सहीं लोहिया की प्रासंगिकता आज भी बिहार सहित सम्पूर्ण देश में बनी हुई है।

सन्दर्भः

१. लोहिया, राममनोहर, 'गिल्टीमेन ऑफ इंडियाज पार्टिशन, हैदराबाद, 1970, पृ0 80–91 ।
२. दीपक, ओमप्रकाश, लोहिया एक जीवनी, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, पृष्ठ–29 ।
३. सिंह, जगपाल, शोध–पत्रः हिन्दी पट्टी के समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, 15 अगस्त, 1916 ।
४. कुमारी, डॉ. रंजना, कर्पूरी ठाकुरः नेता विरोधी दल के रूप में, संसदीय भूमिका ;न्यू देल्ही, राजकमल प्रकाशन, 2003 पृष्ठ–135 ।
५. अवस्थी, ए० पी०, भारतीय राजनीतिक चिन्तक, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, तृतीय संस्करण, 2003–04, पृ०–355–357 ।
६. मस्तराम कपूर, राममनोहर लोहिया रचनावली,(सम्पादित), भाग–1 मार्क्स, गाँधी और समाजवाद, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा० लि०, अंसारी रोड, नई दिल्ली, 2001, पृ० 1–4
७. ब्रास, पी०आर०, 'रेडिकल पार्टिज ऑफ द लेफ्ट इन बिहारः ए कम्पेरिजन ऑफ द एसएसपी एण्ड सीपीआई, कैम्ब्रिज : द एमआईटी प्रेस, 1973, पृष्ठ 342–43 ।
८. लोहिया, राममनोहर, मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, नवहिन्द, हैदराबाद, 1963, पृ०–38 ।
९. लोहिया, राम मनोहर, समाजवाद की अर्थ–नीति, (नवहिन्द, हैदराबाद, 1965) पृ०–4।
१०. इन्दूमति केलकर, राममनोहर लोहिया, उद्धृत, राममनोहर लोहिया रचनावली, 1999 वोल्यूम–01, पृष्ठ 73–75।
११. वर्मा, लक्ष्मीकांत, समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1998, पृष्ठ–285
१२. मेहरोत्रा, नानक चन्द, लोहिया–ए स्टडी, दिल्ली, 1978, पृ०–4 ।
१३. आर० डैविस, द फेडरल प्रिंसिपल रीकंसीडर्ड इन आस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, 1977, वोल्यूम–1, 1955–56 ।
१४. सिवाच, जे० आर०, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी, द्वितीय संस्करण–2002, पृ०–17 ।
१५. राममनोहर लोहिया, समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, संकलित, राममनोहर लोहिया समता विद्यालय, हैदराबाद, 1960, पृ–102।